अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2019 (RCMS 2019/00064) श्री हरपाल सिंह सुधन, अधिवक्ता, रायसिंहनगर बनाम . तहसीलदार(राजस्व), विजयनगर

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई तो उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 31/2018 प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 26.06.2018 को निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार, श्रीविजयनगर को रिमाण्ड किया गया था। अपीलार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार द्वारा पुनः निर्णय नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को सूचित किया गया, इसलिए उसके द्वारा यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 106 दिनांक 22.05.2019 से अपील पत्र का निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त अनवानी प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस द्वारा सूचित किया गया एवं अपीलार्थी दिनांक 22.04.20109 को कार्यालय समय में उपस्थित आकर चाह गया अभिलेख का निरीक्षण करवाकर रिमाण्ड अपील की सुनवाई कर कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख की सूचना दी जा चुकी हैं अपीलार्थी की कोई भी सूचना इस कार्यालय में देना शेष नहीं है। उक्त सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना शेष नहीं है।
>
> अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज किया जाना उचित होगा।
>
> उपखण्ड अधिकारी
> श्रीविजयनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर के उक्त जवाब के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवा दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार रिव्यु का कोई प्रावधान नहीं है, यदि अपीलार्थी प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर